



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272668
CG-DL-E-18052026-272668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2452]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 2452]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.आ. 2544(अ).— जबकि, मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नंबर 6-3-680/8/3, पीएनओ-03, दूसरी मंजिल, पीएमआर प्लाजा, ठाकुर मेशन लेन, सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082, तेलंगाना, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/43/2025-PG दिनांक 05.05.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द हिंदू (अंग्रेजी में) दिनांक 24.08.2025, डेली हिंदी मिलाप (हिन्दी में) दिनांक 24.08.2025, आंध्रज्योति (तेलुगू में) दिनांक 24.08.2025 और

भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 13.09.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड ने 17.03.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

(i) एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड का मध्यवर्ती सबस्टेशन (जेनरेशन स्विचयार्ड, हेब्बटम गांव, होलागुंडा तालुक, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश) - एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड का पूलिंग स्टेशन (जेनरेशन स्विचयार्ड, येदावली गांव, मद्दिकेरा तालुक, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश) 400 केवी एससी लाइन डीसी टावरों पर।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1-	पेद्दगोनहलु, हेब्बटम	होलागुंडा	कर्नूल	आंध्र प्रदेश
2-	च्यागी, नारायणपुरम, नागनाधनहल्ली, धनापुरम	अदोनि	कर्नूल	
3	तिक्कन्ना कोट्टाला, मादिगा कोट्टाला, मोलगवल्लि, पेद्दहोतुरु, मरकट्टू, मणिकुर्ति, कतारिकि, मुसनहल्ली, कम्मराचेडु, कुरूकुंडा, अंगसाकल्लु, ए गोनेहल, हुलेबीडु	आलूर	कर्नूल	
4	जोहरपुरम, चिन्नहोतुरु, नगरूर, अस्पारी, चिगिलि	अस्पारी	कर्नूल	
5	बोम्मनपल्लि, हंपा, पेरावली, एडवल्लि, बोज्जुनायनिपेट, बुरुजुला, मद्दिकेरा-वेस्ट, मद्दिकेरा-ईस्ट	मद्दिकेरा ईस्ट	कर्नूल	
6	होसुर	पत्तिकोंडा	कर्नूल	
7	रामापुरम	तुगगलि	कर्नूल	
8	गुंडाला, गुंडाला तांडा, मोंडितुरुकला कोट्टाला, दोसालुडिकी, नक्कनादोडुडी, कसापुरम	गुंटकल	अनंतपुर	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स एबीसी सीटी आरई पार्क (01) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/42/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 15th May, 2026

S.O. 2544(E).— Whereas, M/s ABC CT RE PARK (01) Private Limited, having its registered address at H. No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad – 500082, Telangana, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity to M/s ABC CT RE Park (01) Pvt. Ltd. for its 250 MW wind power project in Kurnool District, Andhra Pradesh.”

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/43/2025-PG dated 05.05.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for overhead line covered under the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity to M/s ABC CT RE Park (01) Pvt. Ltd. for its 250 MW wind power project in Kurnool District, Andhra Pradesh”.

M/s ABC CT RE PARK (01) Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Hindu (in English) dated 24.08.2025, Daily Hindi Milap (in Hindi) dated 24.08.2025 and Andhrajyothy (in Telugu) dated 24.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 13.09.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s ABC CT RE PARK (01) Private Limited has submitted an affidavit dated 17.03.2026 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ABC CT RE Park (01) Pvt. Ltd. for its 250 MW wind power project in Kurnool District, Andhra Pradesh.” The following overhead line is covered under this scheme:

(i) Intermediate substation of M/s ABC CT RE Park (01) Pvt. Ltd (Generation Switchyard located at Hebbatum Village, Holagunda Taluk, Kurnool District, Andhra Pradesh) - Pooling Station of M/s ABC Cleantech Pvt. Ltd. (Generation Switchyard located at Yedavali Village, Maddikera Taluk, Kurnool District, Andhra Pradesh) –400 kV S/c line on D/c towers.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Andhra Pradesh:

Sr. No	Name of the Villages	Tehsil	District	State
1.	Peddagonahalu, Hebbatam	Holagunda	Kurnool	Andhra Pradesh
2.	Chyagi, Narayanapuram, Naganadhanahalli, Dhanapuram	Adoni		
3.	Tikkanna Kottala, Madiga kottala, Molagavalli, Peddahoturu, Marakattu, Manikurti, Katariki, Musanahalli, Kammarachedu, Kurukunda, Angasakallu, A Gonehal, Hulebeedu	Alur		
4.	Joharapuram, Chinnahoturu, Nagarur, Aspari, Chigili	Aspari		
5.	Bommanapalli, Hampa, Peravali, Edavalli, Bojjunayanipeta, Buruzula, Maddikera West, Maddikera North, Maddikera Agra haram, Maddikera East,	Maddikera (east)		
6.	Hosur	Pattikonda		
7.	Ramapuram	Tuggali		
8.	Gundala, Gundala Tanda, Monditukurkalla kottala, Dosaludiki, Nakkanadoddi, Kasapuram	Guntakal	Anantapur	

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ABC CT RE PARK (01) Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

The approval is granted for 25 years.

- i. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- ii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iii. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- iv. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- v. M/s ABC CT RE PARK (01) Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/42/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)